GCMS-2025/31

APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम शीला

किस्म मुकदमा 136 C.R नं. 3 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाकै ग्राम ताथेड़ खसरा नं0 1297/480 रकबा 0.1364 है0 भूमि संजू पत्नि पंकज जायसवाल हिस्सा पूर्ण जाति कलाल निवासी 5–के–23 महावीर नगर तृतीय कोटा नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाकै ग्राम–ताथेड़ खसरा नं0 1424/1080 रकबा 0.16 है0 भूमि शीला अग्रवाल पत्नि योगेश अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन निवासी 5–बी–35 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनो खातेदारों की तरमीम एक दूसरे के स्थान पर कर दी व इनके मध्य में किसी अन्य खसरा नं0 1364/1080 रकबा 0.21 है0 जो कि वर्तमान में अनिल भटेजा पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी नि0 5/58 चिरंजीवी विहार उ0प्र0 गाजियाबाद की तरमीम कर दी गई है। जबकि मौके पर दोनो प्रार्थियान एक दूसरे के समीप (पडौस) में बैठे/स्थित है। मुताबिक विक्रय पत्र वर्तमान मौका/कब्जे की स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। यहां यह स्पष्ट है कि तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त दोनो खातेदारों की तरमीम एक दूसरे के स्थान पर कर दी व इनके मध्य में किसी अन्य खसरा नं0 1364/1080 रकबा 0.21 है0 जो कि वर्तमान में अनिल भटेजा पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी नि0 5/58 चिरंजीवी विहार उ0प्र0 गाजियाबाद की तरमीम कर दी गई है। जबकि मौके पर दोनो प्रार्थियान एक दूसरे के समीप (पडौस) में बैठे/स्थित है। मुताबिक विक्रय पत्र वर्तमान मौका/कब्जे की स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/25 पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र राजीनामे के आधार पर निस्तारण किये जाने बाबत पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश ग्राम पंचायत बनियानी दिनांक 21.06.2010 नामान्तरकरण संख्या 158 के विरूद्ध पेश की गई। उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.6.2011 को निर्णय पारित करते हुये नामान्तकरण सं0 158 दिनांक 21.06.2010 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को सभी प्रभावित उभयपक्षों को सुनवाई का मौका देते हुये साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर अपना निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया। अपीलाण्ट नं0 2 ओमप्रकाश की ओर से निर्णय दिनांक 03.06.2011 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2011 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः विधिसम्मत, तथ्यात्मक निर्णय पारित करने के निर्देश सहित रिमाण्ड किया गया। उभयपक्षकारान की ओर से प्रार्थना पत्र राजीनामे के आधार पर निस्तारण किये जाने बाबत प्रस्तुत कर प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया हैं। चूंकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट के बीच राजीनामा हो गया है, राजीनामा के आधार पर प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2011 को बहाल रखते हुये राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारित करवाना चाहते है। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखते हुये राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण चाहते है अतः प्रार्थना पत्र राजीनामे के आधार पर निस्तारण किये जाने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी प्रभावित उभयपक्षों को सुनवाई का मौका देते हुये साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करे। पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली नम्बर से कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय आज दिनांक 16/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया। 16/01/25 उपखण्ड अधिकारी को.र	